

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-1

संख्या: 5080 /3-आ-1 1998

लखनऊ: दिनांक: दिसम्बर 15, 1998

// कार्यालय न्याप //

आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगर के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने हेतु परिषद की कुछ श्रेणियों से आय के निर्धारित अंश को इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ.प्र.अधिनियम संख्या: 1, 1966) की धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन, यह निर्देश देते हैं कि:-

1. परिषद की कुछ श्रेणियों से आय के अंश को परिषद के सामान्य पूल में न आकर "आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर" हेतु निहित अलग बैंक खाते में जमा किया जाएगा और उसका लेखा अलग शीर्षक के अन्तर्गत प्रत्येक नगर के लिये अलग-अलग रखा जायेगा।
2. उक्त खाते में निम्नलिखित प्राप्तियों जमी की जायेगी:-
 - (क) निम्न स्तरीय भू-उपयोग की उच्च स्तरीय भू-उपयोग में परिवर्तन प्राप्त परिवर्तन शुल्क का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत परिषद अंश।
 - (ख) परिषद की योजना के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति करते हुए देय विकास शुल्क तथा सुदृढीकरण शुल्क का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत परिषद अंश। इस मद में प्राप्त धनराशि तत्सम्बन्धी कालोनी के लिये उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं जैसे कि मार्ग निर्माण, ड्रेनेज, सीवर, मार्ग प्रकाश व जलापूर्ति व्यवस्था पर ही व्यय की जा सकेगी।
 - (ग) परिषद योजना क्षेत्र में महायोजना के अनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थापित अनाधिकृत कालोनियों में विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृति किये जायेंगे। यह धनराशि इस व्यवस्था के अन्तर्गत ली जायेगी कि उस क्षेत्र के न्यूनतम 80 प्रतिशत भू-भाग द्वारा विकास शुल्क जमा कर दिये जाने पर ही उस क्षेत्र विशेष का विकास कार्य किया जायेगा। ऐसे किये जाने वाले विकास कार्य का स्तर भी स्पष्ट किया जायेगा। प्राप्त विकास शुल्क का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत परिषद अंश।
 - (घ) अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शमत शुल्क का 50 प्रतिशत अंश तथा शेष 50 प्रतिशत अंश परिषद अंश।
 - (च) परिषद द्वारा अपनी सम्पत्तियों को प्री होल्ड किये जाने से प्राप्त होने वाली आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत परिषद अंश।
 - (छ) परिषद द्वारा बेचे जा रहे भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाते हुए प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का शत-प्रतिशत अंश।
 - (ज) विक्रय विलेख के निबन्धन से प्राप्त आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत परिषद अंश।

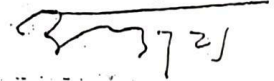
उक्त खाता परिषद के स्तर पर होगा, परन्तु इन खातों में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा। समिति सदस्य आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जिलाधिकारी उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम/अधिकारी नगर पालिका परिषद और जलनिगम के प्रतिनिधि होंगे।

4. उक्त खाते में जमा धनराशि सम्बन्धित नगर के लिये उपलब्ध करायी जाने वाले मार्ग निर्माण, ड्रेनेज, सीवर, मोर प्रकाश, जलापूर्ति व सौन्दर्यीकरण आदि में पर ही व्यय की जा सकेगी।

5. उक्त खाते से प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 80 प्रतिशत पूंजीगत, और अधिकतम 20 प्रतिशत राजस्व, व्यय किया जा सकेगा।

6. शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश में विहित रीति से उक्त र व्यय किये जायेंगे।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या: 5080 (1)/9-आ-1-1998 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ।
8. आवास विभाग के सम्बन्धित अनुभाग।
9. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार गुप्ता)
सचिव